रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2660] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2016/कार्तिक 18, 1938
No. 2660] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016/KARTIKA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2016

का.आ. 3415(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, झारखंड कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री एस.ई.एच. काजमी, अध्यक्ष
 डी-9/18, नेपाल हाउस,
 डोरंडा, रांची-834002,

2. श्री एस. सी. नारायण, सदस्य
 हाउस नं. डी/47, अशोक नगर, रोड
 नं. 1, रांची-834002,

3. मुख्य वनपाल, सदस्य-सचिव
वनरोपण, अनुसंधान और मूल्यांकन,
वन विभाग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार।

2. प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, झारखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. प्राधिकरण, झारखंड इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन राज्य सरकार के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ समिति, झारखंड की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, झारखंड को सहायता के प्रयोजन के लिए झारखंड सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1. श्री कैलाश प्रसाद भावसिंका, अध्यक्ष
एस.एन. पथ, योगीपुर,
मार्फत् श्रीमती यमुना अग्रवाल,
हाउस आफ लली यादव (भूतपूर्व वार्ड पार्षद्),
एन.आर.के. आयल डिपो, हनुमान नगर,
कंकरबाग, पटना-800020, बिहार,

2. डा. ब्रजेन्द्र कुमार तिवारी, सदस्य
फ्लैट नं. 207, माधुरी पैलेस,
नियर सिटी सेंटर, धनबाद,
झारखंड,

3. श्री राधा नंद सिंह, सदस्य
मार्फत् अमिताभ कुमार, हाउस नं. 299 सी,
फ्लैट नं. 210, रोड नं. 1ए, गेट नं. 1,
अशोक नगर, रांची,

4. श्री युगल किशोर सिंह, सदस्य
डब्ल्यु 9, संजुक्ता अपार्टमेंट,
साउथ आफिस पारा,
दुरंदा, रांची,

5. श्री शैलेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सदस्य
हाउस नं. 4644, नियर पंजाब नेशनल बैंक,
अशोक नगर, रांची-834002,

IndiaCode

6. श्री विनोद प्रसाद सिन्हा, सदस्य
403, गार्डन सिटी अपार्टमेंट,
लुबी सर्कुलर रोड, नियर इंडियन आयल भवन,
धनबाद,

7. डा. रण विजय सिंह, सदस्य
108, शिवम अपार्टमेंट, हिन्नू,
रांची,

8. श्री मोहन श्रीराम भागवत, सदस्य
हाउस नं. 1670, सेक्टर 7ई,
फरीदाबाद, हरियाणा-121006,

9. श्री उदय प्रताप सिंह, सदस्य
हाउस नं. 2K9,
हरारमु हाउसिंग कालोनी, रांची,

10. प्रभागीय वन अधिकारी, सदस्य सचिव
निदेशन और प्रशासन,
प्रधान मुख्य वनपाल कार्यालय,
झारखंड सरकार, रांची

IndiaCode

6. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

8. राज्य स्तर, पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. झारखंड सरकार, प्राधिकरण, झारखंड और राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होंगे ।

[फा. सं. जे-11013/75/2008-आई.ए.।।(।)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2016

S.O. 3415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand (hereinafter referred to as the Authority, Jharkhand) comprising of the following members, namely: -

1.	Shri S E H Kazmi, D-9/18, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002	-	Chairman
2.	Shri S C Narayan House No-D/47, Ashok Nagar Road No. – 1, Ranchi – 834002.	-	Member
3.	Chief Conservator of Forest, Afforestation, Research & Evaluation, Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand.	-	Member Secretary

2. The Chairman and members of the Authority,Jharkhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Jharkhand shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority,Jharkhand shallbase its decision onthe recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Jharkhand.

5. For the purposes of assisting the Authority, Jharkhand, the Central Government, in consultation with the Government of Jharkhand, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand comprising of the following members, namely :-

1.	Shri Kailash Prasad Bhawsinka S.N.Path, Yogipur, C/o Smt Yanuna Agarwal, H/o Lali Yadav (Former Ward Councillor) NR K.Oil Depot, Hanumannagar, Kankarbagh, Patna 800020 Bihar	Chairman
2.	Dr Brajendra Kumar Tiwari Flat No. 207, Madhuri Palace, Near City Centre, Dhanbad, Jharkhand	Member
3.	Shri RadhaNand Singh C/O Amitabh Kumar, House No: 299 C, Flat No: 210, Road No 1 A, Gate No 1, Ashok Nagar, Ranchi	Member
4.	Shri Yugal Kishore Singh W 9,Sanjuktaaptt, South Office Para, Doranda, Ranchi.	Member
5.	Shri Shailendra Prasad Srivastava, HN: 4644, Near Punjab National Bank, Ashok Nagar Ranchi – 834002	Member

IndiaCode

6.	Shri Vinod Prasad Sinha 403, Garden City Apartment, Luby Circular Road , Near Indian Oil Bhawan, Dhanbad	Member
7.	Dr Ran Vijay Singh 108, Shivam Apartment, Hinoo, Ranchi	Member
8.	Shri Mohan Shriram Bhagwat House no. 1670, Sector 7E, Faridabad Haryana 121006	Member
9.	Shri Uday Pratap Singh House No- 2K9, Hrarmu Housing Colony Ranchi.	Member
10.	Divisional Forest Officer, Direction and Administration, Office of Principal Chief Conservator of Forest, Government of Jharkhand, Ranchi.	Member Secretary

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Jharkhand shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority,Jharkhand and the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority, Jharkhand and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall be paid in accordance with the relevantrules of the Government of Jharkhand.

[F. No. J-11013/ 75/ 2008- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.10 13:02:16 +05'30'